न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
फौ० प्रार्थना पत्र सं. 07/2022
श्रीमान् एओ कुचेरा जरिये प्रो० बाबूलाल v/s राज० सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
18/5/2022	वकील प्रार्थी उप० / E.I व APP उप०। वकील प्रार्थी श्री गोविन्द कड़वा ने बहस हेतु अवसर चाहा जो दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 1/6/2022 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
01-6-22	वकील प्रार्थी श्री गोविन्द कड़वा उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से श्री सुरेश कुमार रोयल् अभियोजन अधिकारी एवं श्री रामावतार पूनिया प्रवर्तन अधिकारी (अभियोजन) रसद विभाग उपस्थित। श्री रामावतार पूनिया ने Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur द्वारा रिपोर्ट कमांक–RFSL(JOD)/5712/CAE/ 113/21 दिनांक 21.03.2022 की प्रति प्रस्तुत की जो शा0मि0 हो। उक्त रिपोर्ट की प्रति दिनांक 27.04.2022 को वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। श्री सुरेश कुमार रोयल द्वारा प्रकरण के संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना कुचेरा की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 प्रस्तुत की, जो शा0मि0 हो। वकील प्रार्थी के आवेदन अन्तर्गत 457 सी.आर.पी.सी. पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण हाजा में प्रार्थी जब्तशुदा ऑयल का मालिक है, जो प्रार्थी ने पदम श्री ग्लोबल ट्रेड गांधीधाम गुजरात से जरिये बिल खरीद किया था, जिसके बिल की प्रति आवेदन के साथ पेश की गई है। उक्त ऑयल का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई स्वामी नहीं है। उक्त ऑयल पुलिस थाना कुचेरा में देखरेख के अभाव में पड़ा पड़ा क्षीर्ण हो रहा है तथा क्षयीय वस्तु है। पुलिस थाना कुचेरा ने हस्तगत प्रकरण बिना दस्तावेजात की जॉच किये दर्ज कर उक्त वैध पदार्थ को अवैध बताकर तहवील में लिया है, जबकि उक्त पदार्थ किसी भी रूप में अवैध नहीं है, जरिये बिल खरीद कर लाया गया था, जिसका प्रार्थी एक मात्र मालिक है। प्रार्थी को उक्त जब्तशुदा ऑयल की नितान्त आवश्यकता रहती है। पुलिस थाना कुचेरा को उक्त ऑयल की अनुसंधान में कोई आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी की आजीविका का एकमात्र साधन उक्त ऑयल ही है, जिसके अभाव में प्रार्थी को भारी आर्थिक क्षति हो रही है। प्रकरण में जो एफ.एल.एल. रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार जब्तशुदा ऑयल पेट्रोलियम पदार्थ नहीं है। इसलिए उक्त एफ.एस.एल रिपोर्ट भी प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थी को जरिये जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा के उक्त ऑयल सुपुर्द किया जाना उचित व न्याय संगत है। प्रार्थी न्यायालय हाजा द्वारा अधिरोपित प्रत्येक शर्त की अक्षरशः पालना करने का तत्पर होने का कथन करते हुए उक्त जब्तशुदा ऑयल सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा पर प्रार्थी को सुपुर्द [illegible] का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी ने अपनी बह[illegible] में 2020(2)CJ(Cri.)(Raj.)page-[illegible] page-104, 2021(4)CJ(Cri.)(Raj.) [illegible] 2021(1)C[illegible](Raj.) page-287, 2021(3)Cr.L.R.[illegible] (Raj.) page-30 न्यायिक दृष्[illegible] अप्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकार[illegible] व प्रवर्तन अधिकारी(अभियोजन) ने बहस में कथन किया कि प्रकरण में कुल 29100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ रसद विभाग द्वारा जब्त किया गया है, जो वर्तमान में पुलिस थाना कुचेरा की सुपुर्दगी में दिया हुआ है। उक्त संबंध में पुलिस थाना कुचेरा में रसद विभाग की ओर से	

कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	फौ० प्रार्थना पत्र सं. 07/2022 श्रीराम एग्रो कुचेरा जरिये प्रो० बाबूलाल vs राज० सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01/6/22 (लगातार)	मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, जिसके सी.आर.नं. 155/2021 दर्ज है। उक्त प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना कुचेरा द्वारा प्रार्थी बाबूलाल द्वारा बिना लाईसेन्स उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध रूप से खाली करवाकर ड्रमों में डालने, ट्रेक्टर के टेंकर में डालना व भण्डारण करना अपने अनुसंधान में पाया गया है, जो थानाधिकारी पुलिस थाना कुचेरा की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 से स्पष्ट है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में जो एफ.एल.एल. रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार जब्तशुदा ऑयल पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होने एवं एफ. एस.एल रिपोर्ट भी प्रार्थी के पक्ष में होने को लेकर कथन किया है, वह पूर्णतया असत्य एवं मिथ्या कथन है। क्योंकि प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur द्वारा रिपोर्ट क्रमांक–RFSL (JOD)/5712/CAE/ 113/21 दिनांक 21.03.2022 में वर्णित किया गया है कि On the basis of Distillation Characteristics the sample contained in the packet marked A-1 was found to be of petroleum hydrocarbon fractions of boiling point range from 181°C to 352°C.The relative density and flash point of the sample was found to be 0.7765 at 15°C and 58°C(Abel) respectively. पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा–2.परिभाषाएं–(खख) "पेट्रोलियम वर्ग ख" से ऐसा पेट्रोलियम अभिप्रेत है जिसका प्रज्वलन ताप तेईस डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर किन्तु पैंसठ डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। उक्त नमूना जॉच रिपोर्ट में जब्त शुदा पेट्रोलियम पदार्थ का flash point 58°C (Able). बताया गया है, जो कि उक्तानुसार अनुसार "ख" वर्ग का मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, जिसके परिवहन एवं भण्डारण आदि के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को अपने आवेदन में ऑयल होना एवं उक्त ऑयल का मालिक होने का कथन करते हुए उक्त ऑयल को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द करने का निवेदन किया है। जबकि उक्त पदार्थ ऑयल न होकर उपर्युक्तानसार "ख" वर्ग का मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, जिसके भण्डारण, परिवहन आदि के संबंध में प्रार्थी द्वारा सक्षम स्तर से जारी वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं है। इसलिए उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ प्रार्थी को कतई जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ को सक्षम स्तर से जारी वैध अनुज्ञप्ति के बिना भण्डारण, परिवहन आदि करना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी MS & HSD आदेश 2005 का उल्लघन है। इसके अलावा प्रकरण में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं वाहन आदि को राजसात करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए सपठित MS & HSD आदेश 2005 के तहत रसद मामला संख्या–86/2021 सरकार बनाम भंवरलाल वगैरह, न्यायालय हाजा में विचाराधीन है। जहां तक वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांन्त 2020(2)CJ(Cri.)(Raj.) page-649, 2021(1)CJ (Cri.)(Raj.) page-104, 2021(4)CJ(Cri.)(Raj.) page-2030, 2021(1)CJ(Cri.)(Raj.) page-287, 2021(1)CJ(Cri.) (Raj.) page-30 उक्त [illegible] जमानत आदि पर रिलीज करने के संबंध में है। 202[illegible] (Raj.) page-879 यह न्यायिक दृष्टान्त धारा 439 सी.[illegible] तहत सतपालसिंह व कैलाश शर्मा की जमानत के संबध में है [illegible] वस्तुगत प्रकरण में कतई लागू नहीं होने [illegible] अन्तर्गत धारा 457 सीआ[illegible] किया है। वकुलाय की बहस पर मनन कि[illegible] सम्पूर्ण पत्रावली व वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में कुल 29100 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ रसद विभाग द्वारा जब्त किया गया है, जो वर्तमान में पुलिस थाना कुचेरा की सुपुर्दगी में दिया हुआ है। उक्त संबंध में पुलिस थाना कुचेरा में रसद विभाग की ओर से मुकदमा भी दर्ज करवाया गया है, जिसके सी.आर. नं0 155/2021 दर्ज है, जिस प्रकरण में थानाधिकारी पुलिस थाना	

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:00 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	फौ० प्रार्थना पत्र सं० 07/2022 श्रीराम एग्रो कुचेरा जरिये प्रो० बाबूलाल वि राज० सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
01/6/22 (लगातार)		

कुचेरा द्वारा प्रार्थी बाबूलाल द्वारा बिना लाईसेन्स उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को अवैध रूप से खाली करवाकर ड्रमों में डालने, ट्रेक्टर के टेंकर में डालना व भण्डारण करना अपने अनुसंधान में पाया गया है, जो थानाधिकारी पुलिस थाना कुचेरा की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 01.06.2022 से स्पष्ट है। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण में जो एफ.एल.एल. रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार जब्तशुदा ऑयल पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होने एवं एफ.एस.एल रिपोर्ट भी प्रार्थी के पक्ष में होने को लेकर कथन किया है। वकील प्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रकरण में उक्त जब्तसुदा पेट्रोलियम पदार्थ का नमूना जांच के संबंध में Regional Forensic Science Laboratory, Jodhpur द्वारा रिपोर्ट क्रमांक–RFSL(JOD)/5712/CAE/ 113/21 दिनांक 21.03.2022 में वर्णित किया गया है कि 1- The liquid sample contained in the packet marked A-1 did not confirm the BIS specification of-

(a) Biodiesel (B100 : 15607 - 2016) in respect of relative density at 15°C and kinematic viscosity at 40°C.

(b) Diesel (IS: 1460-2017) in respect of relative density at 15°C.

2- On the basis of Distillation Characteristics the sample contained in the packet marked A-1 was found to be of petroleum hydrocarbon fractions of boiling point range from 181°C to 352°C.The relative density and flash point of the sample was found to be 0.7765 at 15°C and 58°C(Abel) respectively. पेट्रोलियम एक्ट 1934 की धारा–2.परिभाषाएं–(खख) "पेट्रोलियम वर्ग ख" से ऐसा पेट्रोलियम अभिप्रेत है जिसका प्रज्वलन ताप तेईस डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर किन्तु पैंसठ डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे है। उक्त नमूना जॉच रिपोर्ट में जब्त शुदा पेट्रोलियम पदार्थ का flash point 58°C (Able). बताया गया है, जो कि उक्तानुसार "ख" वर्ग का मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, जिसके परिवहन एवं भण्डारण आदि के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है।

वकील प्रार्थी द्वारा उक्त पेट्रोलियम पदार्थ को अपने आवेदन में ऑयल होना एवं उक्त ऑयल का मालिक होने का कथन करते हुए उक्त ऑयल को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द करने का निवेदन किया है। जबकि उक्त पदार्थ ऑयल न होकर उपर्युक्तानसार "ख" वर्ग का मिश्रित पेट्रोलियम पदार्थ है, जिसके भण्डारण, परिवहन आदि के संबंध में प्रार्थी द्वारा सक्षम स्तर से जारी वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं है। इसलिए उक्त जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ प्रार्थी को कतई जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ को सक्षम स्तर से जारी वैध अनुज्ञप्ति के बिना भण्डारण, परिवहन आदि करना आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत जारी MS & HSD आदेश 2005 का उल्लघन है। उक्त संबंध में जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ एवं वाहन आदि को राजसात करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए सपठित MS & HSD आदेश 2005 के तहत रसद मामला संख्या–86/2021 सरकार बनाम भंवरलाल वगैरह [illegible] वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त हस्तग[illegible] तथ्यों एवं परिस्थितियों में हूबहू चस्पा [illegible] आवेदन अन्तर्गत धारा 457 [illegible] खारिज कि[illegible]ता है। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल [illegible] पत्रावली रसद मामला संख्या 86[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:11:00 IST
Reason: SelfAttested

(पीयुष समारिया),
जिला कलक्टर नागौर
कलक्टर, नागौर